**बिहार सरकार**
**जल संसाधन विभाग**

**—: आदेश :—**

संख्या—06 / प्र०—07(विविध)—05 / 2025— / पटना, दिनांक—

विभागीय आदेश संख्या—3026 दिनांक 30.06.2025 द्वारा श्री मनोज रमण, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार), समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना—सह—अभियंता प्रमुख (अतिरिक्त प्रभार), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को अस्थायी रूप से सृजित तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर उनके योगदान की तिथि (दिनांक 01.07.2025) से एक (01) वर्ष के लिये (जो दिनांक 30.06.2026 को समाप्त हो रहा है) संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है।

2. बाढ़ अवधि वर्ष—2026 में बाढ़ की सम्भावित आपदा तथा वर्तमान खरीफ सिंचाई अवधि के दृष्टिपथ आवश्यकतानुसार तकनीकी परामर्श प्रदान करने निमित्त विभागान्तर्गत अस्थायी रूप से सृजित तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर श्री मनोज रमण के संविदा आधारित नियोजन को निम्नांकित शर्तों के अधीन विस्तारित किया जाता है:—

(i) संविदा आधारित नियोजन का विस्तारण योगदान की तिथि से दिनांक 08.12.2026 अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि (जो पहले हो) तक के लिए होगा।

(ii) नियोजित पदाधिकारी आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना के साथ पुनः एकरारनामा सम्पन्न कर उक्त एकरारनाम के आलोक में अपना योगदान समर्पित करेंगे। एकरारनामा के समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(iii) नियोजित पदाधिकारी को मासिक मानदेय का भुगतान योगदान समर्पित करने की तिथि से देय होगा।

(iv) संविदा नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएगें, परन्तु उन्हें नियमानुसार आकस्मिक अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश देय होगा। नियोजन के पश्चात् नियोजित व्यक्ति का सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) संविदा के आधार पर नियोजन विभाग में अस्थायी रूप से सृजित पद के विरूद्ध किया जा रहा हैं। उक्त पद की समाप्ति के साथ संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(vi) नियोजित पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा के क्रम में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के पर यह नियोजन एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी। नियोजित पदाधिकारी एक माह के पूर्व नोटिस पर संविदा नियोजन को स्वेच्छा पूर्वक समाप्त कर सकेंगे।

(vii) श्री रमण के जल संसाधन विभागान्तर्गत उक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन संबंधी व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, माँग संख्या—49, मुख्य शीर्ष—3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष—00, लघुशीर्ष—090—सचिवालय, उपशीर्ष—0009—जल संसाधन विभाग, विपत्र कोड 49—3451000900009, विषय शीर्ष—28 02—संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत भारित होगा।

(viii) नियोजित पदाधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंश्न (Commutaion सहित) एवं उस पर सेवानिवृत्ति की तिथि को देय मंहगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगी। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

(ix) सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के मध्य वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(x) यदि संविदा अवधि की समाप्ति से पूर्व संविदा अवधि का विस्तार नही होता है तो संविदा के आधार पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमादेन प्राप्त है।

ह0/–
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–06/प्र०–07(विविध)–05/2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, वीरचन्द पटेल, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–06/प्र०–07(विविध)–05/2025– 2834 /पटना, दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह– विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव /संयुक्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन/अभियंत्रण सहित)/सभी उप–सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/श्री मनोज रमण, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, पता– 2एच, साकार आर्किड ग्रीन्स अपार्टमेंट, विजय सिंह यादव पथ, खगौल रोड, पटना, पिनकोड–801503 (ईमेल–raman6001manoj@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/कार्यपालक अभियंता, आई०टी० जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को नियोजित पदाधिकारी के ईमेल पता पर प्रेषित कराने एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

30/6/26
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।